मु. नं. वर्ष

मा

आज्ञा-पत्र

जिसका जवाब भी वकील वादी पूर्व में दिनांक 9/11/16 को दिया जा चुका है जिस पर बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/19 को पेश हो। Ri4

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। उपस्थित। उभयपक्ष विधिक कुपाति रिपोर्ट तहसीलदार दिनांकित 9-9-16 को विधिक आपत्ति आदेश 7 नियम 11 CPC अन्तर्गत ठोस एवं स्पष्ट आधारों पर नहीं होने के कारण खारिज की जाती है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम 11/10/19 को पेश हो।

Ri4
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.10.19 को पेश हो। Ri4

...0/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। विधिक आपत्ति आवेदन दिनांकित 7/9/2016 पर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 6/11/2019 को पेश हो। Ri4

...19 प्रत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6.11.19. को पेश हो।

...19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधिक आपत्ति का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी

| दिनांक | आज्ञा-पत्र |
|---|---|
| न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद, ... सीकर (राज.) | स्तर पर खारिज किया जाता है निर्णय प्रपत्र के लिखवा-कर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो<br><br>उपखण्ड अ... ...री<br>धोद मु. सीकर |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 05/16/251–ए आरटीए

बनाम

हीरा आदि

लिछमण

विधिक आपत्ति दिनांकित 07.09.2016

उपस्थिति–

1. श्री राजेश माथुर वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से
2. श्री प्रभातीलाल वकील जवाबदाता/प्रार्थी की ओर से

## निर्णय आवेदन विधिक आपत्ति

दिनांक– 15.11.2019

01. वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से विधिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि आवेदक ने वाके ग्राम परडोली बड़ी में अवस्थित खसरा सं. 14, जो कि अनावेदकगण सं. 1 ता 3 के खातेदारी व कब्जे में हैं, में से रास्ता दिलवाये जाने के लिए मांग अपने आवेदन में की है। आवेदक ने अपने आपको ग्राम सेवा में अवस्थित खसरा सं. 25 के संपूर्ण रकबे 1.39 हैक्टेयर में से 11/24 हिस्से के आधे भाग का खातेदार बताया है। आवेदक ने खसरा सं. 25 में से अपने हक व हिस्से की भूमि 11/24 के आधे भाग में जोत करने के लिए एवं खसरा सं. 24 में अपने पैतृक हक व हिस्से की भूमि में जोत करने के लिए उक्त आवेदन के जरिये खसरा सं. 14 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता की मांग की है। उक्त आवेदन में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम सेवा में अवस्थित खसरा सं. 25 में आवेदक के अलाव अन्य काफी खातेदार है। आवेदक तो मात्र उक्त खसरे में बहुत ही अल्प हिस्से का खातेदार है। जब तक कृषि भूमि खसरा संख्या 25 वाके ग्राम सेवा में आवेदक के हिस्से का बंटवारा होकर अलग से कब्जा मौके पर व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो, तब तक भौतिक व वास्तविक रूप से धरातल पर इम्पलीमेंट नहीं होने के कारण आवेदन सारहीन होने से इसी स्टेज पर निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक संख्या 3 भंवरी देवी पत्नी भगवाना ने खसरा संख्या 25 वाके ग्राम सेवा के पूर्व खातेदार यशपाल पुत्र धनपतराम से उसके हक व हिस्से की 1/4 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय की है, जिसके पश्चात उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 652 दिनांकित 05.02.2014 दर्ज किया गया और राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की गई। ग्राम सेवा में ही अवस्थित अन्य खसरा नम्बर 24 में आवेदक अन्य खातेदारान के साथ खातेदार है, जिसमें उसका पैतृक रूप से अविभाजित हक व हिस्सा है। उक्त खसरा का भी बंटवारा ना होने से आवेदक कौन से विशिष्ट हक व हिस्से की भूमि काश्त कर रहा है या भविष्य में करेगा, जब तक यह तय नहीं हो जाता, तब तक केवल अकेले आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन के जवाब का अधिकार सुरक्षित रखते हुए विधिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने की कृपा करें।

02. आवेदन विधिक आपत्ति पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन आपत्ति का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अनावेदक संख्या 1, 2, 3 ने धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन को विलम्ब(Delay) करने के कुउद्देश्य से विधि के प्रावधानो के विपरीत यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा वर्णित आराजी का विभाजन नही होने बाबत कथन अंकित करके धारा 251–ए के आवेदन को इसी स्टेज

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

पर निरस्त करने की प्रार्थना की है। जबकि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदक को निर्णित करने के सम्बन्ध में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके तहत संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों का विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो। ना ही इस आधार पर विधिक आपत्ति का आवेदन पोषणीय है। आवेदक/जवाबदाता एवं अनावेदक संख्या 4 लगायत 6 एक ही परिवार के होकर खसरा संख्या 24 रकबा 1.57 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा के खातेदार है तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 1.39 हैक्टेयर में आवेदक एवं अनावेदक संख्या पांच 11/24 हिस्सा के तथा अनावेदक सं. 8 1/4 हिस्सा एवं अनावेदक सं. 4 भंवरलाल 1/4 हिस्सा एवं शेष 1/4 हिस्सा की अनावेदक सं. 3 भंवरी खातेदार है। खसरा संख्या 24 व 25 में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। इसी कारण खसरा संख्या 14 में से 20 फिट चौड़ा रास्ता की जवाबदाता ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके मांग की है एवं खसरा संख्या 24 के खातेदार आवेदक एवं अनावेदक संख्या 4 लगायत 6 एवं खसरा संख्या 25 का सहखातेदार अनावेदक संख्या 8 सभी का हित आवेदक के साथ ही निहित है, कोई भी खातेदार आवागमन करने के लिए 30 फिट चौड़ाई तक का रास्ता किसी दूसरे कृषक की भूमि में से प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः आवेदन विशेष हर्जा सहित खारिज किया जावें।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आपत्तिकर्ता/अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने बहस के दौरान आवेदन आपति के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रास्ता खसरा सं. 14 में से चाहा जा रहा है। रास्ता चाहने वाला खसरा सं. 25 का 11/48 हिस्से का खातेदार है तथा खसरा सं. 24 आवेदक के परिवार की पैतृक भूमि है। आवेदक सहखातेदार है तथा आपत्तिकर्ता अनावेदक सं. 3 भंवरी देवी खसरा सं. 25 में 1/4 हिस्से की सहखातेदार है। संयुक्त खाते का तब तक विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक रास्ता देना संभव नहीं है। अतः सहखातेदारों को पूर्ण आपत्ति है। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/प्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को बहस के दौरान दोहराया।

04. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत प्रस्तुत उक्त आवेदन के अनुसार आवेदनकर्ता ने अपनी सहखातेदारी की भूमि खसरा सं. 25 तक खसरा सं. 14 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत कोई सहखातेदार रास्ते की मांग कर सकता है, लेकिन सहखातेदारों का उसके लिए सहमत होना या उनकी अनापत्ति होना जरूरी है। खसरा सं. 25 के 1/4 हिस्से की सहखातेदार भंवरी देवी पत्नी भगवानाराम ने उक्त रास्ते के मांगे जाने पर अपनी आपत्ति पेश की है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अतः विधिक आपत्ति का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं0 05/16/251–ए आरटीए

बनाम

हीरा आदि

लिछमण

विधिक आपत्ति रिपोर्ट तहसीलदार दिनांकित 09.09.2016 तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 18 सी.पी.सी

उपस्थिति–

1. श्री राजेश माथुर वकील आपतिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से
2. श्री प्रभातीलाल वकील जवाबदाता/प्रार्थी की ओर से

## निर्णय आवेदन मौका रिपोर्ट आपत्ति

दिनांक– 18.09.2019

1. वकील आपतिकर्ता/अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के प्रत्रांक सं0 225 दिनांकित 12/08/2016 के कम में तहसीलदार महोदय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 09/09/2016 मौके पर जाकर तैयार नहीं की गयी है, बल्कि केवल गिरदावर व पटवारी द्वारा आवेदक लिछमण से साजिश करके तैयार की गयी है। यह कि उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी यह दर्शित नहीं होता है कि प्रार्थीगण को मौका कार्यवाही से पहले मौके पर उपस्थिति हेतु सूचना दी गई हो, यहां तक कि जिन ग्रामीणों से पुछताछ करके रिपोर्ट तैयार किये जाने का उल्लेख किया गया है उनके भी रिपोर्ट में नाम व पते अंकित नहीं है। एवम् ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है। पटवारी व गिरदावर को छोडकर अन्य दो हस्ताक्षर किस व्यक्ति के है यह पता नहीं चलता है। उनके हस्ताक्षर के नीचे न नाम अंकित व ना ही उसका पद अंकित है। इस प्रकार रिपोर्ट स्वमेव ही कपोल कल्पित रूप से तैयार की गई प्रमाणित होने से अपठनीय है। यह कि मौके पर जाकर राजकीय कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करते तो अवश्य ही वादग्रस्त खसरा भूमि जो कि प्रार्थी लिछमण की खातेदारी है के पश्चिमी ओर दो वैकल्पिक मार्ग के सम्बन्ध में तथ्य अवश्य अंकित आते। आवेदक के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं0 24 व 25 ग्राम सेवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पश्चिम में खसरा सं0 23 अवस्थित है जिसके उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 500 फीट की दूरी पर चलने पर खसरा सं0 16 व 15 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे करीब 20 फीट चौडा रास्ता कालान्तर से अवस्थित है जो आगे जाकर खसरा सं0 14 व 15 के मध्य ग्रेवल सडक में सम्मिलित हो जाता है उक्त रास्ता ग्राम सेवा से परडोली छोटी तक जाता है। उक्त वैकल्पिक मार्ग को जवाब आवेदन के संलग्न नक्शे में ए बी सी से सुर्ख रेखाओं से दर्शित किया गया है। इसी प्रकार आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 24 के पश्चिमी ओर अवस्थित खसरा नं0 21 जिसके उत्तरी सीमा से लगते हुए मात्र 300 फीट की दूरी पर खसरा सं0 22 व 21 के मध्य एवं खसरा सं0 20 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा सं0 15 में स्थायी रास्ता में पूर्व से ही करीब 15 फीट चौडा रास्ता अवस्थित है। उक्त रास्ते को खसरा नं0 24 व 25 के पूर्व खातेदारान काम में लेते रहे है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित वैकल्पिक मार्ग को जवाब आवेदन के संलग्न नक्शे में बअक्षर डी से ई दर्शित किया गया है एवं आगे पूर्व से अवस्थित रास्ते को ई, एफ, जी, व एच से दर्शित किया गया है। उक्त वास्तविक स्थिति को छिपाकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह निरस्त होने योग्य है, और उसे निरस्त की जाकर वास्तविक स्थिति मौके पर जाकर देखने हेतु प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि न्यायालय स्वंय मौके पर चलकर वादग्रस्त स्थल का मौका मुआयना करे ताकि उक्त प्रकरण के सही न्याय निर्णयन पर पहुचा जा सके। अतः विधिक आपत्ति मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 18 सी पी सी पेश है कि मौका रिपोर्ट दिनांकित 09/09/2016 निरस्त की जाकर माननीय न्यायालय सही न्याय निर्णयन हेतु स्वंय मौके पर जाकर मौका मुआयना करने की कृपा करें।

2. आवेदन आपति पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन आपति का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आवेदन की मद संख्या 1 जिस प्रकार से तहरीर है गलत है अतः अस्वीकार है। राजस्थान टेनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरक्षक (गिरदावर) द्वारा मौका जांच करके मौका रिपोर्ट तैयार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उक्त रिपोर्ट मौका पर ही तैयार की गई है, किसी भी प्रकार से साजसी तौर पर तैयार नहीं की गई है, प्रार्थी ने सर्वथा मिथ्या कथन अंकित किये है। आवेदन की मद संख्या 2 जिस प्रकार से तहरीर है गलत है अतः अस्वीकार है, प्रार्थी ने प्रकरण को विलम्बित करने के लिए यह मिथ्या आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष करीब आठ माह से अधिक समय से लम्बित है। जबकि नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्राप्ति की तारीख से 90 दिवस के अन्तर्गत आवेदन का विनिश्चय किया जाना, कानूनी प्रावधान है। मौका रिपोर्ट अनावेदकगण की पूर्णतया जानकारी में मौके पर ही तैयार की गई थी। नियम 69 के तहत तैयार की जाने वाली रिपोर्ट पर गवाहान के हस्ताक्षर होना नियम 69 के तहत आज्ञापक नहीं है, प्रार्थी ने धारा 251 ए के लिए बनाये गये नियमों के विपरीत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसे मय खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। आवेदन कि मद संख्या 3 जिस प्रकार से तहरीर है गलत है अतः अस्वीकार है। आवेदक/जवाबदाता की कृषि भूमि के आवागमन का एक अथवा दो वैकल्पिक मार्ग अवस्थित नहीं है, प्रार्थी ने सर्वथा मिथ्या कथन अंकित किये है, आवेदक लिछमण ग्राम परडोली छोटी का निवासी है तथा उसकी कृषि भूमि ग्राम सेवा की तन में अवस्थित है, तथा ग्राम परडोली छोटी नजरी नक्शा में अंकित खसरा नम्बर 15 की तरफ अवस्थित है, उसी तरफ से जवाबदाता का अपने खेत में आवागमन किया जाता है, प्रार्थी ने इस मद में सर्वथा गलत रास्तों का अंकन किया है, यही कारण है कि इस मद में दिखाये गये तथाकथित रास्ते कौन से गांव की तरफ जाते है अंकन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी मूल आवेदन का निर्णय नहीं होने देना चाहता है, इसलिए आवेदन को मय खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी ने आवेदन मूल आवेदन को देरिना करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया है। इसलिए आवेदन को मय खर्चा खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आपतिकर्ता/अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने बहस के दौरान आवेदन आपति के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार महोदय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 09/09/2016 मौके पर जाकर तैयार नहीं की गयी है। बल्कि केवल गिरदावर व पटवारी द्वारा आवेदक लिछमण से साजिश करके तैयार की गयी है। यह कि उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भी यह दर्शित नहीं होता है कि प्रार्थीगण को मौका कार्यवाही से पहले मौके पर उपस्थिति हेतु सुचना दी गई हो, यहां तक कि जिन ग्रामीणों से पुछताछ करके रिपोर्ट तैयार किये

उपखण्ड अधिकारी
पोद्दार, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

जाने का उल्लेख किया गया है उनके भी रिपोर्ट में नाम व पते अंकित नहीं है। उक्त वास्तविक स्थिति को छिपाकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह निरस्त होने योग्य है, और उसे निरस्त की जाकर वास्तविक स्थिति मौके पर जाकर देखने हेतु प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि न्यायालय स्वंय मौके पर चलकर वादग्रस्त स्थल का मौका मुआयना करे ताकि उक्त प्रकरण के सही न्याय निर्णयन पर पहुचा जा सके। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/प्रार्थी ने आवेदन आपति के जवाब तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार, धोद द्वारा रिपोर्ट पूर्णतया सही प्रस्तुत की गई है। पक्षकारान को सूचित कर मौके के अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। महज आवेदन को गलत रूप से न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए व प्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गिरदावर/पटवारी ने मौके व रिकॉर्ड के अनुसार रिपोर्ट तैयार की है तथा उक्त रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के पश्चात् सहमत होने पर तहसीलदार ने विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है, अतः साजिश करके रिपोर्ट तैयार करने की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि विवादित आराजी पर जाने हेतु कोई भी प्रचलित/रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। दो वैकल्पिक रास्तों के संबंध में आपत्तिकर्ता में कोई राजस्व रिकॉर्ड (नक्शा आदि) पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी पर कोई अन्य रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध हो। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता है।

5. अतः तहसीलदार की रिपोर्ट में वह सभी तथ्य अंकित है जिनकी अपेक्षा न्यायालय द्वारा की गई थी। इसलिए तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति ठोस एवं प्रमाणित आधारों पर नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 11.10.2019 को पेश हों।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.12.03 16:26:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: